प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–07.08.2024 को विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक–07.08.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से की गई, जिसमें सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, सभी कार्यपालक अभियंता इत्यादि ने भाग लिया। योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए–

1. **हर खेत तक सिंचाई का पानी (सतही योजनाएं) -**

1.1 कैमूर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 68 योजनाओं में से 65 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है तथा 3 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, कैमूर द्वारा बताया गया कि 24 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 41 डी०पी०आर० TAC हेतु अधीक्षण अभियंता को भेजे गए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, पटना अंचल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर)

1.2 अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण को निदेश दिया गया कि अगली बैठकों में समीक्षा हेतु तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन में डी०पी०आर० के TAC अनुमोदन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन को भी शामिल कर प्रस्तुतीकरण (PPT) तैयार किया जाएगा।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०), अनुश्रवण)

1.3 नवादा जिला में इस योजनांतर्गत कुल 90 योजनाओं में से 89 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, नवादा द्वारा बताया गया कि 01 योजना, जो 65 मीटर चौड़ी नदी में बनाना है और पईन का Bed Level एवं नदी से बीयर का लेवल ऊँचा होने के कारण डिस्चार्ज में तकनीकी समस्या के आलोक में डी०पी०आर० के डिजाईन में परिवर्तन किया जाना है और इस योजना के Final डी०पी०आर० का निर्माण एक सप्ताह में कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि 58 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 31 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा)

1.4 मधुबनी जिला में इस योजनांतर्गत कुल 59 योजनाओं में से 47 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है तथा 20 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 27

डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन हैं। शेष 12 योजनाओं के डी०पी०आर० के संबंध में कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा बताया गया कि नदी चौड़ी होने के कारण इसके डी०पी०आर० निर्माण हेतु कंसल्टेंट हायर करने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि पिछली समीक्षा बैठकों में कार्यपालक अभियंता द्वारा इस हेतु कंसल्टेंट हायर किए जाने की आवश्यकता के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई और अब तक डी०पी०आर० का कार्य बाधित रखा गया है, जो खेदजनक एवं इनके कार्यों के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। प्रधान सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि उक्त जिले की समीक्षा कर योजनाओं के डी०पी०आर० का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी)

1.5 लखीसराय जिला में इस योजनांतर्गत कुल 55 योजनाओं में से 53 योजनाओं का डी०पी०आर० पिछले सप्ताह तक तैयार हो चुका था एवं इस सप्ताह में प्रगति शून्य है तथा 2 योजनाओं में प्री–लेवल लिया गया है। कार्यपालक अभियंता, लखीसराय द्वारा बताया गया कि 30 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 23 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इनके द्वारा कहा गया कि एक ही नदी में 1 कि०मी० की दूरी पर 2 चेकडैम की योजना है, जिसमें 01 योजना "किरणपुर चेकडैम" के कुछ भाग में निजी जमीन है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि यदि सरकारी भूमि अनुपलब्ध है तथा योजना जनहित एवं सरकार हित में है तो तो निजी भूमि अधिग्रहण हेतु कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता, मुंगेर अंचल अविलंब स्थल निरीक्षण कर उचित निर्णय लें।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, मुंगेर अंचल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय)

1.6 शेखपुरा जिला में इस योजनांतर्गत कुल 40 योजनाओं में से 39 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि इनमें से 21 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 18 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा)

1.7 भोजपुर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 7 योजनाओं में से 6 योजनाओं का डी०पी०आर० पिछले सप्ताह तक तैयार हो चुका था एवं इस सप्ताह में प्रगति शून्य है। कार्यपालक अभियंता, भोजपुर द्वारा बताया गया कि शेष 01 योजना के डी०पी०आर० का निर्माण दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया कि 3 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 3 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भोजपुरा)

1.8 बांका जिला में इस योजनांतर्गत कुल 317 योजनाओं में से 271 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है तथा 40 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा बताया गया कि इनमें से 93 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 80 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका)

1.9 जमुई जिला में इस योजनांतर्गत कुल 394 योजनाओं में से 291 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है तथा 88 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा बताया गया कि इनमें से 104 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा बताया गया कि आहर–पईन की 28 योजनाओं का डी०पी०आर० का निर्माण दिनांक–08.08.2024 तक कर लिया जाएगा। चेकडैम की योजना के डी०पी०आर० निर्माण हेतु इनके द्वारा 20.08.2024 तक समय लगने की बात कही गई। प्रधान सचिव द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार कंसल्टेंट हायर कर अविलंब शेष बचे डी०पी०आर० का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अधीक्षण अभियंता, भागलपुर अंचल इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, भागलपुर अंचल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई)

1.10 भागलपुर जिला में इस योजनांतर्गत कुल 81 योजनाओं में से 68 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है तथा 13 योजनाओं में प्री–लेवल का कार्य किया गया है। कार्यपालक अभियंता, भागलपुर द्वारा बताया गया कि इनमें से 19 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 8 योजनाओं का डी०पी०आर० TAC से वापस हुई थी, जिसे संशोधित कर पुनः भेजा गया है।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, भागलपुर अंचल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर)

1.11 भागलपुर, जमुई एवं बांका जिला में चेकडैम की कई योजनाओं में डी०पी०आर० का निर्माण शेष बचा हुआ है। मुख्य अभियंता, भागलपुर को निदेश दिया गया कि कंसल्टेंट हायर करके इन योजनाओं के डी०पी०आर० का निर्माण अविलंब कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। **(अनुपालन–मुख्य अभियंता, भागलपुर)**

1.12 गया जिला में इस योजनांतर्गत कुल 461 योजनाओं में से 453 योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, गया द्वारा बताया गया कि इनमें से 290 डी०पी०आर० का TAC हो चुका है तथा 163 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन है। इनके द्वारा बताया गया कि 5 योजनाओं के डी०पी०आर० में प्राक्कलित राशि अधिक होना संभावित है तथा इसके अनुपात में सिंचाई का कमाण्ड क्षेत्र कम होगा। इस संबंध में

अधीक्षण अभियंता, गया को निदेश दिया गया कि स्थल निरीक्षण कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, गया अंचल/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया)

1.13 मुंगेर जिला में कुल 27 योजनाओं में से 4 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हुआ है, नालंदा जिला में 39 योजनाओं में से 33 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हो चुका है, पटना जिला में 46 योजनाओं में से 41 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हुआ है तथा जहानाबाद जिला में 15 योजनाओं में से 13 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हुआ है एवं 2 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन है। अधीक्षण अभियंता, मुंगेर अंचल को निदेश दिया गया कि शेष डी०पी०आर० TAC से शीघ्रातिशीघ्र समीक्षा कराएं।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, मुंगेर अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता)

1.14 दरभंगा में सभी 27 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हो चुका है, सारण में सभी 4 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हो चुका है, अरवल में सभी 2 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हो चुका है, बक्सर में सभी 01 योजना के डी०पी०आर० का TAC हुआ है तथा मोतिहारी में 6 योजनाओं में से 4 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हुआ है एवं 2 डी०पी०आर० TAC हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

1.15 सहायक अभियंता, प०चंपारण द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 13 योजनाएं हैं, जिसमें से 5 योजनाओं का डी०पी०आर० पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 4 योजनाओं के डी०पी०आर० का TAC हो चुका है एवं 3 योजनाओं में पहाड़ी क्षेत्र में नदी के पास बड़े–बड़े घास होने तथा वह क्षेत्र जलजमाव से प्रभावित होने के कारण लेवल लेने में कठिनाई हो रही है। संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर एवं प०चंपारण जिले की योजनाओं के डी०पी०आर० निर्माण, TAC इत्यादि कार्यों की अपने स्तर पर समीक्षा करें।

(अनुपालन–मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं प० चंपारण)

1.16 **हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक 980 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें से कई योजनाएं पूर्ण हैं तथा कई योजनाओं में कार्य चल रहा है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि शेष बचे सभी योजनाओं के कार्यों को दिसम्बर, 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए।**

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल)

1.17 **मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०) उक्त सभी प्रक्रियाधीन TAC की प्रतिदिन समीक्षा करके सम्यक निष्पादन दिनांक–14.08.2024 तक कराएं।**

[अनुपालन–मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०)]

2. **मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना -**

2.1 सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन किसानों से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से कई किसानों द्वारा अब योजना का लाभ लेने से इन्कार किया जा रहा है और इससे संबंधित घोषणा पत्र पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है, किन्तु संबंधित किसानों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, वैसे किसानों को रजिस्टर्ड AD डाक से नोटिस निर्गत किया जाए कि 7 दिनों के अंदर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर अंकित करें अन्यथा उसके पश्चात उनका दावा अमान्य कर दिया जाएगा। अपर सचिव को निदेश दिया गया कि इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं को नोटिस प्रारूप के साथ पत्र भेजा जाए।

(अनुपालन–अपर सचिव, ल०ज०सं०वि०/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.2 सिवान जिले में इस योजना की प्रगति असंतोषजनक पाया गया। पिछले सप्ताह में इस जिले में मात्र 10 LPC एवं 5 जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं। कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में पूछे जाने पर काई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा कार्यों में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। इन्हें निदेश दिया गया कि दिनांक–08.08.2024 को विभाग में सचिव महोदय के सम्मुख आकर स्थिति स्पष्ट करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान)

2.3 इस योजनांतर्गत किसानों द्वारा योजना का लाभ नहीं लिए जाने के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार सभी जिलों में कुल 1356 घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अविलंब समीक्षा करके इनमें से जो घोषणा पत्र से संबंधित आवेदन rejection योग्य हैं, उसे शीघ्र portal पर रद्द किया जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.4 सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों में योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक किसानों का शत–प्रतिशत आवेदन अगस्त, 2024 के अंत तक स्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.5 कार्यपालक अभियंता, प०चंपारण द्वारा बताया गया कि उनके जिले में प्रखंडों की संख्या अधिक होने तथा कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की कमी होने के कारण इस योजनांतर्गत घोषणा पत्र पर इन अभियंताओं के स्थान पर अन्य कर्मी का हस्ताक्षर अंकित कराने पर सहमति का अनुरोध किया गया। इस संबंध में अपर सचिव को निदेश दिया गया कि इस हेतु प०चंपारण जिले को विभाग स्तर से पत्र निर्गत किया जाए।

(अनुपालन–अपर सचिव, ल०ज०सं०वि०/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, प० चंपारण)

3. <u>राजकीय नलकूप</u>–

3.1 हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत 21 जिलों के सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदित हुआ कि वर्तमान में 323 राजकीय नलकूप चालू स्थिति (functional) में हैं तथा शेष 266 नलकूप विद्युत दोष/संयुक्त दोष के कारण बंद हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को यह अवगत कराया गया कि विद्युत संबद्धता के कारण जो नलकूप बंद हैं तथा इनमें ट्रांसफर्मर से नलकूप तक विद्युत पहुँचाने का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी तथा इस पर होने वाले व्यय की राशि संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अतः निदेश दिया गया कि विद्युत संबद्धता के कारण बंद पड़े नलकूपों को उक्त आलोक में प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र किया जाए।

(अनुपालन– SBPDCL/ NBPDCL/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.2 प्रतिवेदन के अनुसार 111 अकार्यरत राजकीय नलकूप ऐसे हैं, जिसे functional किए जाने हेतु राशि की अधियाचना विभाग को नहीं भेजी गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इन नलकूपों को functional किए जाने हेतु राशि की अधियाचना दो दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए। प्रभारी नलकूप कोषांग इस हेतु संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चत करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी नलकूप कोषांग/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.3 विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अकार्यरत राजकीय नलकूपों की मरम्मती हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि का आवंटन शीघ्र करने हेतु कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–श्रीमती संगीता सिंह, अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

3.4 पटना जिले में 30 राजकीय नलकूप अकार्यरत हैं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना द्वारा बताया गया कि 10 ट्यूबवेल में joint wire की समस्या है–इस संबंध में विद्युत कंपनी के अभियंता से वार्ता की गई है, शीघ्र ही स्थल निरीक्षण कर समस्या का निराकरण कराकर इन 10 ट्यूबवेल को चालू करा लिया जाएगा।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना)

3.5 कार्यपालक अभियंता, कैमूर द्वारा 01 राजकीय नलकूप तथा कार्यपालक अभियंता, समस्तीपुर द्वारा 01 राजकीय नलकूप परित्यक्त घोषित किए जाने योग्य बताया गया। दोनों कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर एवं समस्तीपुर)

3.6 सर्वेक्षित राजकीय नलकूपों में बक्सर जिले में 7, सारण–29, कैमूर–4, पटना–30, शिवहर–13, भोजपुर–11, सिवान–17, पू०चंपारण–30, दरभंगा–49, सीतामढ़ी–9, भागलपुर–27, मधुबनी–18 एवं प०चंपारण–9 अकार्यरत (Non-functional) हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इन नलकूपों को कार्यरत किए जाने/मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार कर राशि की अधियाचना तीन दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए। यह भी निदेश दिया गया कि इनमें से जो नलकूप ठीक नहीं हो सकते–उसके स्थान पर मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में लेने हेतु कार्रवाई की जाए। अपर सचिव तथा प्रभारी नलकूप कोषांग इस हेतु संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चत करेंगे।

(अनुपालन–अपर सचिव, ल०ज०सं०वि०/प्रभारी नलकूप कोषांग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4. अन्यान्य–

4.1 **यह देखा जाता है कि योजनाओं के बकाया भुगतान हेतु राशि आवंटन के लिए संवेदक विभाग में प्रायः आते रहते हैं। प्रत्येक योजना में योजनावार राशि आवंटन की प्रक्रिया विभाग में पूर्व से चली आ रही है, जिसमें परिमार्जन आवश्यक प्रतीत होता है। सभी अभियंताओं को इससे अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की संख्या/प्राक्कलित राशि के अनुसार समेकित रूप से जिलों को राशि आवंटित करने हेतु प्रक्रिया आरंभ करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे योजनाओं में नियमानुसार M.B. इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण कर संवेदकों को भुगतान की कार्रवाई संबंधित अभियंताओं द्वारा की जाएगी।**

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4.2 सचिव महोदय इस संबंध में आवश्यक आदेश प्रारुप उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

संतोष 8/8/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक–81/प्र॰ सचिव (को॰)/ल०ज०सं०वि०/पटना, दिनांक–08/8/24

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०)/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता

(योजना+स्थापना)/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 8/8/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–81/प्र॰सचिव (को॰)/ल॰ज॰सं॰वि॰/पटना, दिनांक–08/8/24

प्रतिलिपि–सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता (मु॰) अनुश्रवण/प्रभारी नलकूप कोषांग/आई॰टी॰ मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष 8/8/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–81/प्र॰सचिव (को॰)/ल॰ज॰सं॰वि॰/पटना, दिनांक–08/8/24

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संतोष 8/8/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग